न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, पुष्पा सत्यानी, आर.ए.एस.

1. अपील संख्याः 88/13 **निर्णय दिनांकः–** 25-2-21
(जीसीएमएस संख्या 2013/00223)

1. नरेश कुमार पुत्र नत्थूराम जाति अरोड़ा निवासी छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. अब्दुल सत्तार पुत्र नवाब खॉ जाति मुसलमान निवासी राणेवाला तहसील पूगल जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, पूगल।

–रेस्पोडेन्ट्स

2. अपील संख्याः 88/13
(जीसीएमएस संख्या 2013/00228)

1. नरेश कुमार पुत्र नत्थूराम जाति अरोड़ा निवासी छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. अनवर अली पुत्र हुसैनखॉ जाति मुसलमान निवासी डंडी तहसील पूगल जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, पूगल।

–रेस्पोडेन्ट्स

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.03.12 10:35:01 IST
Reason: SelfAttested

अपीलें विरुद्ध आदे[illegible] 30–12–2000
उपखण्ड अधिकारी पूगल

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उपस्थितः–

1. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री हरिराम बिश्नोई, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री नन्दराम कासनियॉं, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपीलें उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला के आदेश दिनांक 30–12–2009 जिसके द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के आवंटनों को बहाल रखा गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

2. प्रस्तुत दोनों अपीलों में निर्णय हेतु वैधानिक बिन्दु समान होने के कारण उपरोक्त दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही कॉमन निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति दोनों पत्रावलियों में सुरक्षित रखी जावे।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेन्ट अब्दुल सत्तार पुत्र नवाब खॉं को तहसील छत्तरगढ़ के चक 9 एडब्ल्यूएम (बी) के मुरब्बा नम्बर 4/52 में 13 बीघा व मुरब्बा नम्बर 4/60 में 17 बीघा कुल 30 बीघा भूमि का टीसी आवंटन से पुख्ता आवंटन जरिये मिसल संख्या 785 दिनांक 18–12–1988 को किया गया था। इसी प्रकार रेस्पोडेन्ट अनवर अली पुत्र हुसैन खॉं को तहसील छत्तरगढ़ के चक 9 एडब्ल्यूएम (बी) के मुरब्बा नम्बर 4/52 के किला नम्बर 1 ता 12 व मुरब्बा नम्बर 4/44 के किला नम्बर 4 ता 7, 14 ता 17, 24 व 25 के किला नम्बर 3, 8, 13, 18 व 23 में कुल 27 बीघा भूमि का टीसी आवंटन से पुख्ता आवंटन मिसल नम्बर 788 दिनांक 18–12–1988 को किया गया था। भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट्स को बतौर टीसी आवंटन हुआ ही नहीं था। रेस्पोडेन्ट अब्दुल सत्तार

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.03.12 10:35:01 IST
Reason: Self Attested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

राणेवाला व अनवर अली डंडी गांव का निवासी है। ऐसीस्थिति में उक्त भूमि का आवंटन बतौर टीसी रेस्पोडेन्ट्स को नहीं किया जा सकता था, नाही पुख्ता की जा सकती थी। रेस्पोडेन्ट के टीसी से पुख्ता आवंटन की पत्रावली मुर्तिब ही नहीं की गई ना ही रेस्पोडेन्ट से इस संबंध में कोई विधिवत प्रार्थना पत्र लिया गया व ना ही टीसी से पुख्ता से पूर्व आवंटन सलाहकार समिति की कोई राय ही प्राप्त की गई।

उन्होनें आगे बताया कि इस संबंध में अदालत मातहत के समक्ष शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर बिना सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान किये बिना महज एक पेशी पर ही आदेश जैर अपील पारित करते हुए अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। जबकि विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि किसी भी पक्षकार के विरूद्व बिना सुनवाई के कोई आदेश पारित किया जाता है तो ऐसा आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत पारित किया गया आदेश माना जावेगा। प्रकरण में अदालत मातहत को आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व इस तथ्य की तो जॉच की ही जानी चाहिए थी कि क्या रेस्पोडेन्ट्स को किये गये टीसी से पुख्ता आवांटन सही रूप से किये गये है अथवा नहीं? जबकि अपीलांट की शिकायत का मुख्य आधार ही यही था। अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों को दरकिनार करते हुए मात्र रेस्पोडेन्ट्स को बेजा फायदा पहॅुचानें की नियत मात्र से आदेश जैर अपील पारित किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। अतः अपीलांट की अपीलें स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

उन्होंने मियाद के संबंध में बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर बिना अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया आदेश है। ऐसे एकतरफा आदेश में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अंदर मियांद शुमार की जावे।

विद्वान [illegible] अपील[illegible] अपने कथन के समर्थन में आरबीजे 2008 पेज 712, [illegible] पार्ट I पेज 364 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.03.12 10:35:01 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को अपीलें प्रस्तुत करने की कोई लोकस स्टेण्डाई प्राप्त नहीं है। अपीलांट रेस्पोडेन्ट के आवंटन से किस प्रकार से व्यथित है, प्रस्तुत अपील में यह साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है। रेस्पोडेन्ट के आवंटन से अपीलांट के अधिकारों का किस प्रकार से हनन नहीं हुआ है। अपीलांट मात्र एक शिकायतकर्ता है। जिसकी जॉच करके अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया जा चुका है। अतः अपीलांट की अपीलें लोकस स्टेण्डाई के बिन्दु पर ही खारिज फरमाई जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा मियांद के बिन्दु पर कथन किया कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 30—12—2009 के विरूद्व अपीलें 22—03—2013 को न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। जोकि स्पष्ट रूप से मियांद बाहर अपील है। अपीलांट द्वारा मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने हेतु जो कारण अंकित किये गये है, वे संतोषजनक कारण नहीं है। अतः अपीलांट की अपीलें मियांद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स गुणावगुण पर बहस करते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट्स को वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेन्ट्स को टीसी से पुख्ता वर्ष 1988 में की गई थी। उक्त पुख्ता आवंटन को करीब 32 वर्ष हो चुके है तथा वादग्रस्त भूमि के पुख्ता होने के उपरान्त रेस्पोडेन्ट्स को वादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकार भी वर्ष 2007 में प्राप्त हो चुके है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि के बाबत् अपीलें उपनिवेशन नियमों के तहत प्रस्तुत नहीं की जा सकती क्योंकि वादग्रस्त भूमि पर अब टीनेन्सी एक्ट के प्रावधान लागू हो चुके है। अपीलांट का यह कथन कि टीसी से पुख्ता की पत्रावली बनी ही नहीं, मात्र क्यास मात्र है क्योंकि टीसी आवंटन खसरों में होता है तथा चकों में आने पर पुख्ता आवंटन होता है। अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट्स के आवंटनों के संबंध में संबंधित तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त व तमाम तथ्यों की जॉच करने के उपरान्त ही आदेश जैर अपील पारित करते हुए अपीलांट के शिकायती प्रार्थना पत्रों को खारिज किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांट की अपील लोकस/मियांद के बिन्दु के साथ साथ गुणावगुण पर खारिज फरमाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.03.12 10:35:01 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करते हुए कथन किया है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना व रेस्पोडेन्ट के आवंटन की जॉच किये बिना आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जबकि अपीलांट की मुख्य आपत्ति ही यही थी कि रेस्पोडेन्ट्स को वादग्रस्त भूमि कभी भी टीसी से पुख्ता आवंटन नहीं की गई है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

प्रकरण में सर्वप्रथम जहॉ तक लोकस स्टेण्डाई का प्रश्न है अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष एक शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने के फलस्वरूप अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। परन्तु प्रकरण में अपीलांट यह साबित नहीं कर पाये है कि वे रेस्पोडेन्ट के आवंटन से किस प्रकार से हितबद्व है अथवा रेस्पोडेन्ट के आवंटन से किस प्रकार से उनके अधिकारों का हनन हुआ है। ऐसीस्थिति में केवल मात्र एक शिकायती प्रार्थना पत्र के आधार पर अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की लोकस स्टेण्डाई प्राप्त नहीं होती है।

इसी प्रकार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 30—12—2009 के विरूद्व न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 22—03—2013 को पेश की गई है। जोकि करीब पॉच वर्ष उपरान्त पेश की गई है। प्रार्थी द्वारा अपने मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने के जो कारण अंकित किये गये है वह अपने आप में हास्यास्पद कारण है। प्रार्थी द्वारा मियांद को कण्डोन करने का कारण अंकित किया गया है कि वे दिनांक 22—02—2013 को आदेश की निगरानी करने राजस्व मण्डल गया तो वहॉ अभिभाषक ने बताया कि उक्त आदेश की अपील करनी आवश्यक है। जबकि विधिक रूप से उपखण्ड अधिकारी के आदेश की अपील के ही प्रावधान है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी की यह कार्यवाही न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ करने के उद्देश्य से के लिये रचि गई है। प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Sanyani
Date: 2021.03.12 10:35:01 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

द्वारा प्रस्तुत कारण मियांद को कण्डोन करने के लिये पर्याप्त कारणो की श्रेणी में नहीं आते है।

प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेन्ट को टीसी आवंटन की गई थी। कालान्तर में उक्त भूमि वर्ष 1988 में टीसी से पुख्ता आवंटित होकर रेस्पोडेन्ट्स को वादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकार वर्ष 2007 में प्राप्त हो चुके है। ऐसीस्थिति में रेस्पोडेन्ट्स के आवंटन पर किसी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह् नहीं लगाया जा सकता।

8\. अतः अपीलांट की अपीलें लोकस/मियांद के बिन्दु के साथ–साथ गुणावगुण के बिन्दु पर खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 30–12–2009 यथावत बहाल रखा जाता है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

9\. निर्णय आज दिनांक 25-2-21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(पुष्पा सत्यानी)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.03.12 10:35:01 IST
Reason: SelfAttested